

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 28 / 2019 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड, रजिस्टर्ड पता:- 102 कंचन अपार्टमेंट अपोजिट
एल.बी.एस. कॉलेज, तिलक नगर, जयपुर।
प्राथी (प्रतिभूत तेनदार)

बनाम

1. सम्मत सिंह शेखावत पुत्र मदन सिंह शेखावत, निवासी वार्ड नम्बर 13, राय सिंह जी का पाना, दिवराला, तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर।
2. मदन सिंह शेखावत पुत्र प्रभु सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 13 राय सिंह जी का पाना दिवराला, तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर।
3. राम बाबू पुत्र देवीलाल, निवासी महल वालों की गली, वार्ड नम्बर-4, दिवराला, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

अप्राथीगण

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक: 29 जुलाई, 2019

1. प्राथी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्राथीना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्राथी ने अप्राथीगण सम्मत सिंह शेखावत, मदन सिंह शेखावत, राम बाबू को पुनर्मुग्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में सम्पति ग्राम दिवराला, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित मदन सिंह की सम्पति जिसके उत्तर में बलवीर सिंह की गुवाड़ी, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में उम्मेद सिंह राठौड़ का मकान व पश्चिम में आम रास्ता जिसका कुल क्षेत्रफल 139.3 वर्गगज है, को बंधक रखकर 10,00,000 /-रूपये (अक्षरे रूपये दस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राथीगण ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राथीगण को दिनांक 08.03.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and

देर, सीकर

enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 08.03.2019 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण सम्पत सिंह शेखावत, मदन सिंह शेखावत, राम बाबू की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक सम्पति ग्राम दिवराला, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित मदन सिंह की सम्पति जिसके उत्तर में बलवीर सिंह की गुवाड़ी, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में उम्मेद सिंह राठौड़ का मकान व पश्चिम में आम रास्ता जिसका कुल क्षेत्रफल 139.3 वर्गगज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक: 29 जुलाई, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर